UPAD010120912023

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, इलाहाबाद।

दाण्डिक अन्तरण प्रार्थनापत्र संख्या 691/2023

सुनील दुआ बनाम उ0प्र0 राज्य

15.09.2023

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक उपस्थित हैं।

2. प्रस्तुत अन्तरण प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त सुनील दुआ की ओर से इस आशय का दाखिल किया गया है कि विशेष सत्र परीक्षण संख्या 108/2019 राज्य प्रति सुनील दुआ, मु0अ0सं0 147/2016 अन्तर्गत धारा 376(2)(च)(छ)(ढ), 506 भा0दं0सं0 व धारा 3/4 पाक्सो अधिनियम, थाना सिविल लाईन्स, जनपद प्रयागराज, जो वर्तमान समय में न्यायालय अपर विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम कक्ष संख्या 03 इलाहाबाद में विचाराधीन है। प्रार्थी उक्त प्रकरण का अभियुक्त है तथा उसकी तरफ से सफाई साक्ष्य हेतु दो साक्षियों को मय कागजात तलब किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र 32ख व तलवाना न्यायालय में दाखिल किया था, जिसको कई तारीखों के बाद दिनांक 26.07.2023 को न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त प्रार्थनापत्र के निस्तारण के दौरान न्यायालय अपना प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अपना मत व्यक्त कर दिया गया तथा पीठासीन अधिकारी महोदया द्वारा व्यक्त किये गये मत के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त को उनके द्वारा न्याय मिलने की सम्भावना लगभग शून्य है। अतः उपरोक्त विशेष सत्र परीक्षण को किसी अन्य में स्थानान्तरित किये जाने की याचना की गयी।

3. विपक्षी राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा अन्तरण प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुये यह तर्क रखा गया कि अन्तरण प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधार अन्तरण का नहीं माना जा सकता है। संबंधित पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण हो चुका है, मात्र बहस होनी है। प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश है। अन्तरण प्रार्थनापत्र का उद्देश्य मात्र संबंधित पीठासीन अधिकारी पर दबाव बनाने का है। उपरोक्त आधारों पर अन्तरण प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. संबधित न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम कोर्ट संख्या 03 प्रयागराज के पीठासीन अधिकारी की आख्या 6ख के अनुसार उपरोक्त विशेष सत्र परीक्षण उनके न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 20.05.2023 को धारा 313

द0प्र0सं0 के बयान अंकित किये गये तथा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत सफाई साक्ष्य की लिस्ट प्रदान करने तथा अभियुक्त इलाज से संबंधित मेडिकल प्रपत्रों आदि को प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 30.05.2023 की तिथि नियत की गयी। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य हेतु डा0 मनोज चिकित्साधिकारी एम्स, नई दिल्ली पंचशील ड्रामेट्री के संबंध में अधिकारी कर्ल्क व रसियन साइंस एवं कल्चर सेन्टर लाईब्रेरी, नई दिल्ली का रजिस्टर मंगाने हेतु अनुरोध किया गया था। अभियुक्त द्वारा यह भी कथन किया गया कि वह गम्भीर रूप से कैंसर रोगी है और उसका इलाज एम्स, नई दिल्ली में चल रहा है और वह अपनी गिरफ्तारी के समय दिल्ली में था, जबकि उसकी गिरफ्तारी संबंधित पुलिस द्वारा दिनांक 18.04.2019 को सायं 19.30 बजे बस अड्डा, सिविल लाईन्स, प्रयागराज से दर्शित की गयी है। पीठासीन अधिकारी की आख्या में यह भी उल्लिखित किया गया है कि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत मेडिकल प्रपत्रों में अभियुक्त कैंसर पीड़ित नहीं पाया गया है और स्पष्ट मेडिकल राय दी गयी है कि No evidence of skeletal metastases जो कि पूरे शरीर का बोन स्कैन है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थनापत्र गुणदोष के आधार पर निरस्त कर दिया गया। पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में यह भी उल्लिखित किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल मिस्लेनियस बेल अप्लीकेशन नम्बर 30621/2019 में प्रकरण को दिनांक 15.05.2020 तक निस्तारित करने का समबद्ध आदेश पारित किया गया था। यदि उक्त सत्र परीक्षण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

5. इस संबंध में मेरे द्वारा संबंधित विशेष सत्र परीक्षण संख्या 108/2019 की पत्रावली को भी आहूत कर अवलोकित की गयी, जिसके अनुसार संबंधित विशेष सत्र परीक्षण मुकदमा अपराध संख्या 147/2019 अन्तर्गत धारा 376 (2) (च) (झ) (ढ), 506 भा0दं0सं0 व धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, थाना सिविल लाईन्स, जनपद प्रयागराज से संबंधित है तथा प्रकरण में बहस हेतु आज की तिथि नियत है। सत्र परीक्षण पत्रावली में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा <u>क्रिमिनल मिस्लेनियस बेल अप्लीकेशन नम्बर 30621/2019</u> सुनल दुआ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 07.11.2019 को निम्न आदेश पारित किया गया है **"...However, keeping in view the health condition of the applicant, it is directed that the learned trial judge would gear up the trial and would make all necessary endeavour to conclude the same by 15-05-2020 positively provided the prosecution and defence would render sufficient cooperation and not to seek any unwarranted adjournments in the matter in early conclusion of the trial."** इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र में ही संबंधित विशेष सत्र परीक्षण को दिनांक 15.05.2020 तक समयबद्ध निस्तारण हेतु आदेश पारित किया गया था, किन्तु उक्त सत्र परीक्षण आज तक निस्तारित नहीं हो पाया है। अन्तरण प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से आदेश दिनांक 26.07.2023 में न्यायालय द्वारा अपना मत व्यक्त करने का आधार लिया गया है। इस संबंध में सत्र परीक्षण की पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आदेश दिनांक 26.07.2023 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 32ख को निरस्त करते हुये अभियुक्त को सफाई साक्ष्य/बहस प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश से क्षुब्ध होने के आधार मात्र पर अन्तरण प्रार्थनापत्र विधितः पोषणीय नहीं है। प्रार्थनापत्र 32ख पर पारित आदेश के विरूद्ध विधिपूर्ण उपचार हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है। असत्य व असंगत आधार पर स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र (शिकायती प्रार्थनापत्र) प्रस्तुत करने की कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया को न केवल बाधित करती है, अपितु प्रतिकूलतः प्रभावित भी करती है। इन परिस्थितियों में मात्र इस आधार पर बहस के स्तर पर विचाराधीन सत्र परीक्षण को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में अन्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जहां तक अन्तरण प्रार्थनापत्र में किये गये इस कथन का प्रश्न है कि न्यायालय ने अभियुक्त के विरूद्ध अपना मत व्यक्त कर दिया गया है, यह विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, प्रत्येक मुकदमा उसके स्वयं के तथ्य, साक्ष्य एवम् परिस्थितियों के आधार पर निस्तारित किया जाता है। प्रस्तुत सत्र परीक्षण में साक्ष्य की कार्यवाही पूरी हो चुकी है और पत्रावली बहस हेतु नियत है। इस प्रकार मात्र काल्पनिक शंका के आधार पर बहस के स्तर पर लम्बित सत्र परीक्षण को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय अन्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अन्तरण प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधार, संबंधित सत्र परीक्षण की पत्रावली व संबंधित पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रेषित टिप्पणी के दृष्टिगत मेरा यह सुविचारित मत है कि अन्तरण प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधार प्रथम दृष्टया अपर्याप्त, अयुक्तियुक्त व अविश्वसनीय है। परिस्थितियां यह दर्शित करती है कि उक्त अन्तरण प्रार्थनापत्र केवल पीठासीन अधिकारी पर अनावश्यक दबाव बनाने व विचारण की कार्यवाही को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। अतः न्यायहित में अन्तरण प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1. अन्तरण प्रार्थनापत्र 3ख निरस्त किया जाता है।
2. आदेश की एक प्रति संबंधित न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

दिनॉक 15.09.2023
R.T.

(संतोष राय)
सत्र न्यायाधीश
प्रयागराज